मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 334 वर्ष 2012 (अग्रणी वाद)

1. श्रीमती शाहीन जहाँ उम्र 22 वर्ष पत्नी स्व. अब्दुल आजाद
2. कु. मनतशा उम्र 3 माह पुत्री स्व. अब्दुल आजाद जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती शाहीन जहाँ

निवासियान सिद्धेश्वर नगर आई.टी.आई. बरगद का पेड़ थाना सीपरी बाजार, झाँसी

------याचीगण

प्रति

1. लाखन सिंह यादव पुत्र हरनारायण यादव निवासी 67 भगवन्तपुरा झाँसी जिला झाँसी

.....स्वामी मोटर साईकिल ग्लैमर नं. यू.पी. 93 वाई 5179

2. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. झाँसी जरिये शाखा प्रबधन्क कचहरी चौराहा झाँसी जिला झाँसी उ.प्र.

.....बीमा कं. वाहन नं. यू.पी. 93 वाई 5179

3. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. झाँसी जरिये शाखा प्रबधन्क कचहरी चौराहा झाँसी जिला झाँसी उ.प्र.

.....बीमा कं. मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एसी 1915

4. अब्दुल मुस्ताक पुत्र अब्दुल रहमान निवासी कुम्हर्रा थाना ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
5. श्रीमती महमूदी बेगम पत्नी अब्दुल मुस्ताक निवासी कुम्हर्रा थाना ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
6. अर्जुन सिंह यादव पुत्र हरनारायण यादव निवासी 67 भगवन्तपुरा झाँसी जिला झाँसी

.....चालक मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 वाई 5179

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री वीरेन्द्र सिंह सूर्यवंशी
विपक्षी सं. 1 के अधिवक्ता- श्री दिनेश कुमार गुप्ता
विपक्षी सं. 2 व 3 के अधिवक्ता- श्री आर. पी. निगम
विपक्षी सं. 4 व 5 के अधिवक्ता- श्री ओम प्रकाश भौरीवाल, श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
विपक्षी सं. 6 के अधिवक्ता- श्री अशोक नायक

एवं

एम.ए.सी.पी. संख्या 87 वर्ष 2013

1. अब्दुल मुस्ताक पुत्र अब्दुल रहमान निवासी कुम्हर्रा थाना ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) (उम्र लगभग 50 वर्ष)
2. श्रीमती महमूदी बेगम पत्नी अब्दुल मुस्ताक निवासी कुम्हर्रा थाना ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) (उम्र लगभग 48 वर्ष)
3. कु. मन्तशा पुत्री मृतक अब्दुल आजाद उम्र 2 माह

~~निवासियान कस्बा व पोस्ट कटेरा थाना कटेरा जिला झाँसी~~

------याचीगण

प्रति

1. लाखन सिंह यादव पुत्र हरनारायण यादव निवासी- 67, भगवन्तपुरा झाँसी जिला झाँसी

.....स्वामी मोटर साईकिल ग्लैमर नं. यू.पी. 93 वाई 5179

2. बीमा कं. का नाम, पता ज्ञात होने पर अंकित किया जाएगा।
3. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. झाँसी जरिये शाखा प्रबधन्क कचहरी चौराहा झाँसी जिला झाँसी उ.प्र.

.....बीमा कं. मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एसी 1915

4. श्रीमती शाहीन जहाँ उम्र 22 वर्ष पुत्री हकीम खाँ

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री ओम प्रकाश भौरीवाल, श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
विपक्षी सं. 1 के अधिवक्ता- श्री दिनेश कुमार गुप्ता
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता- श्री ~~आर. पी. निगम~~ **अरुण कुमार श्रीवास्तव**
विपक्षी सं. 4 के अधिवक्ता- श्री वीरेन्द्र सिंह सूर्यवंशी, ~~श्री अशोक नायक~~

निर्णय

याचिका सं. 334 वर्ष 2012 मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में अब्दुल आजाद की मृत्यु के कारण मृतक की पत्नी व पुत्री द्वारा द्वारा क्षतिपूर्ति ₹ 21,82,000 मय 8% वार्षिक ब्याज एवं याचिका सं. 87 वर्ष 2013 मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में अब्दुल आजाद की मृत्यु के कारण मृतक के पिता, माता व पुत्री द्वारा द्वारा क्षतिपूर्ति ₹ 21,82,000 मय 8% वार्षिक ब्याज हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.01 13:23:24 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 01.04.2012 को शाम 6 बजे अब्दुल आजाद अपने भाई अब्दुल इसरार के साथ मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एसी 1915 से बैठकर कुम्हर्रा से राजगढ़ घर जा रहा था कि कुम्हर्रा भटटागांव आम रोड़ पर सामने से आ रही एक मोटर साईकिल ग्लैमर नं. यू.पी. 93 वाई 5179 का चालक मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एसी 1915 मे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अब्दुल आजाद को गम्भीर चोटें आयीं और दौरान इलाज दिनाँक 14.04.2012 को कमला हास्पिटल ग्वालियर म.प्र. में मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना मृतक के भाई अब्दुल इसरार ने दिनाँक 02.04.2012 को थाना पुलिस चौकी नाराई नाका म.प्र. सदर में मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 वाई 5179 के चालक के विरुद्ध देकर मुकदमा अपराध सं. 9/2012 अंतर्गत धारा 279, 337 भा. दं. सं. पंजीकृत कराया। मृतक अब्दुल आजाद की उम्र 25 वर्ष थी तथा वह राज मिस्त्री, घर की खेती व एल्मूनियम की डोर बनाने का कार्य करके ₹ 10,000 प्रतिमाह कमाकर अपना व याचीगण का भरण-पोषण करता था।

3. दुर्धटनाकारी वाहन के स्वामी विपक्षी सं. 1 की ओर से 26 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि उनके वाहन को कथित दुर्घटना में झूठा फसाया गया है। वह मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 का पंजीकृत स्वामी है। उनकी मोटरसाइकिल कवर नोट संख्या 3001/12x-11215 दिनाँक 06.02.2012 से 07.02.2013 तक के लिए तृतीय पक्षीय क्षतिपूर्ति दायित्व के प्रति आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कचहरी चौराहा झाँसी से बीमित रही है। याचिकाकर्ता ने यूपी 93 एसी 1915 के चालक, पंजीकृत स्वामी, बीमा कंपनी को याचिका में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है जबकि याचिका के अनुसार मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एसी 1915 के चालक की संयुक्त तेजी व लापरवाही के कारण दुर्घटना होना बताया है। उन्हे जब उक्त कथित दुर्घटना का न्यायालय का नोटिस प्राप्त हुआ तो उन्होंने याचिका में विपक्षी संख्या तीन बीमा कंपनी को विधिवत अपनी मोटरसाइकिल के पंजीकरण बीमा व चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति व याचिका की नकल दी एवं विपक्षी संख्या तीन के अन्वेषक द्वारा उनकी मोटरसाइकिल के सभी कागजातों को सही पाया गया व बयान लिए गए हैं। इस तरह उन्होंने बीमा कंपनी को पूर्ण सहयोग किया है और यदि राय अदालत ने याचिकाकर्ता याचिका के कथनों को सिद्ध कर लेती है और क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी पाई जाती है तो उसे अदा करने का पूर्ण दायित्व आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड झाँसी का है।

4. विपक्षी संख्या 2 व 3, जो कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों की बीमा कंपनी है, ने अपने जवाबदावे में याचिका के तथ्यों से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह अभिकथन किये हैं कि मोटरसाइकिल संख्या यूपी 93 वाई 5179 के चालक के पास उक्त मोटरसाइकिल चलाने का अपना स्वयं का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। बीमा कंपनी वह सारे प्रतिवाद जो धारा 149 मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित है अपने प्रतिरक्षार्थ प्राप्त करने की अधिकारी है तथा धारा 170 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी उत्तरदाता बीमा कंपनी उन सभी दावों के अभिवचनों पर गुण-दोष के आधार पर लड़ने व प्रतिवाद करने की अधिकारी है, जो बीमा धारी वाहन स्वामी को प्राप्त है तथा धारा 64 व्ही.बी. इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रावधानों के अनुसार यदि वाहन स्वामी ने उनका अनुपालन नहीं किया है तो विपक्षी उत्तरदाता बीमा कंपनी की किसी भी क्लेम के बाबत कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तथाकथित उक्त दुर्घटना में मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 के चालक की कोई लापरवाही अथवा गलती नहीं थी और ना ही उससे कोई दुर्घटना घटित हुई, बल्कि मृतक जिस मोटरसाइकिल में बैठा था उसके चालक की असावधानी व गलती के कारण मोटरसाइकिल गिरी और जिससे मृतक के चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हुई। मृतक जिस मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एस 1915 में बैठा था उसका वह रजिस्टर्ड स्वामी था तथा वह थर्ड पार्टी नहीं था। इस कारण आवेदिका विपक्षी उत्तर दाता बीमा कंपनी से कोई भी क्लेम पाने के हकदार नहीं है। विपक्षी उत्तरदाता बीमा कंपनी बीमा धारक के द्वारा बीमा पॉलिसी पेश हो जाने के बाद तथा बीमा पॉलिसी वेरीफाई होने के पश्चात यदि किसी तथ्य पर अपना अतिरिक्त जवाबदावा पेश करने की जरूरत समझती है तो वह अतिरिक्त जवाबदावा पेश करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है।

5. विपक्षी बीमा कंपनी आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 वाहन मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 का पंजीकृत स्वामी है। विपक्षी संख्या 1 ने माननीय अधिकरण में मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 की बीमा पॉलिसी कवर नोट पेश किया उसको भी विपक्षी बीमा कंपनी ने अपने स्तर से सत्यापन करवाया तब संज्ञान में आया है कि वाहन स्वामी विपक्षी संख्या एक के द्वारा पेश की गई बीमा पॉलिसी कवर नोट उपरोक्त मोटरसाइकिल के लिए कंपनी के द्वारा जारी नहीं की गई है। वास्तविक सच यह है कि वाहन स्वामी विपक्षी संख्या एक ने क्षतिपूर्ति से बचने के लिए अपने स्तर से फर्जी कवर नोट उपरोक्त मोटरसाइकिल का बना कर पेश कर दिया है।

6. मृतक के पिता माता विपक्षी संख्या 4 व 5 की ओर से संयुक्त जवाबदावा प्रस्तुत कर दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार करते हुए यह अभिकथन किए गए हैं कि दुर्घटना के पश्चात उन लोगों के द्वारा मृतक का इलाज कमला राजा अस्पताल ग्वालियर में कराया जिसमें लगभग 70-80 हजार रुपये खर्च किया। क्लेमेंट ना ही इलाज के दौरान रही और नहीं मृतक को देखने आई और नहीं मृतक के इलाज में उसके द्वारा कोई वहन किया गया। मृतक की मृत्यु पूर्व याचिया ने दिनांक 30 जनवरी 2012 को मुस्लिम धर्म

के मुताबिक खुला तलाक मृतक से ले लिया था, जिसकी लिखा पढ़ी हुई थी तथा गवाहनात के हस्ताक्षर भी अंकित है। तलाक के समय याचिया गर्भवती थी और याच्या के पुत्री भी पैदा हो गई है जिसको याचिया ने जानबूझकर याची पक्षकार नहीं बनाया है जिससे कि उसको मिलने वाली क्षतिपूर्ति को हड़पा जा सके। वे माता-पिता हैं तथा वृद्ध हैं। याचिया द्वारा जानबूझकर उनको याची के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि मृतक तलाकशुदा व्यक्ति था। उसने अन्य कोई दूसरी शादी नहीं की थी। मृतक दुर्घटना के पूर्व कमाई का सारा पैसा उनको देता था जिससे उनका भरण पोषण होता था। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था तथा अन्य लोगों की खेती जोत करके उसकी आय भी उन लोगों को देता था। मृतक दुर्घटना के वक्त लगभग ₹ 12,000 प्रतिमाह कमा लेता था। उनका लगभग ₹ 70,000 चालीसवां में खर्च हुआ। उसके अन्य पुत्र भी हैं जो अपने बच्चों के साथ प्रथक रहते हैं व उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

7. विपक्षी संख्या 6 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया है जिसमें उसने याचिका के तथ्यों से इनकार किया है तथा अतिरिक्त कथन में मुख्य रूप से यह कथित किया है कि याचिकाकर्ता ने यूपी 93 एसी 1915 के चालक पंजीकृत स्वामी, बीमा कंपनी को याचिका में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है जबकि याचिका के अनुसार मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एसी 1915 के चालक की संयुक्त तेजी व लापरवाही के कारण दुर्घटना होना बताया है। कथित दुर्घटना मोटरसाइकिल संख्या यूपी 93 एसी 1915 के चालक की उतावलेपन व लापरवाही से स्वयं गलती से हुई है। वह स्वयं ही गिर कर घायल हुआ इसमें उसकी कोई गलती या लापरवाही नहीं है। वह कुशल मोटरसाइकिल चालक है व उसके पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध लाइसेंस संख्या यूपी 99820090005 झाँसी जो दिनाँक 27.11.2009 को जारी हुआ व जिसकी वैधता दिनांक 26.11.2034 तक है जो कथित घटना दिनांक 01.04.2012 को प्रभावी था।

8. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 09.01.2014 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 01.04.2012 को शाम 6:00 बजे जब मृतक अब्दुल आजाद अपने भाई अब्दुल इसरार के साथ मोटर साईकिल नम्बर यू.पी. 93 ए.सी/1915 से बैठकर कुम्हर्रा से राजगढ़ घर जा रहा था कि कुम्हर्रा भटटागॉव आम रोड़ पर सामने से आ रही एक मोटर साईकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 ई 5179 का चालक मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चला कर आया और उक्त मोटर साईकिल यू.पी93 ए.सी/1915 में जोरदार टक्कर मार दी जिससे याची का पति अब्दुल आजाद को गम्भीर चोटें आयीं और दौरान इलाज उसकी ग्वालियर में मृत्यु हो गई?

2. क्या उपरोक्त दुर्घटना वाहन मोटरसाइकिल यू.पी. 93 ए.सी/1915 व मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 ई 5179 की योगदाई उपेक्षा का लापरवाही का परिणाम थी?

3. क्या दुर्घटना दिनाँक को मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 ई 5179 व मोटरसाइकिल यू.पी. 93 ए.सी/1915 के चालकों के पास वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स था ?

4. क्या उपरोक्त वाहन मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 ई 5179 बीमा कम्पनी आई.सी.आई.सी.आई. व मोटरसाइकिल यू.पी. 93 ए.सी/1915 चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से बीमित थी?

5. क्या याची कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो कितनी किससे?

अभिवचनों में दुर्घटनाकारी मोटरसाइकिल के रूप में यू.पी. 93 वाई 5179 नंबर का उल्लेख है न कि यू.पी. 93 ई 5179 का, अतः टंकण त्रुटि के कारण वाद बिंदु में इस नंबर का उल्लेख हो गया है। इसी प्रकार अभिवचनों में चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का उल्लेख नहीं है बल्कि दोनों मोटरसाइकिल के बीमाकर्ता आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड ही है।

9. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

1. फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 8 सी1 लगायत 12 सी1, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, अब्दुल आजाद का मतदाता पहचान पत्र, शाहीन जहाँ का मतदाता पहचान पत्र, डी.एल. अब्दुल इसरार, वाहन इंजन नं. HA10EDBHL08860 व फ्रेम नं. MBLHA10EWBHL08300 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

2. फेहरिस्त 19 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 20 सी1 लगायत 2 सी1 शहीन जहाँ के चिकित्सीय प्रपत्र की छाया प्रतियाँ,

3. फेहरिस्त 38 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 39 सी1 लगायत 43 सी1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, अपराध विवरण फार्म, मेकेनिकल ज्ञान रिपोर्ट व शव परीक्षा प्रतिवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, अपराध विवरण फार्म, मैकेनिकल ज्ञान रिपोर्ट शव परीक्षा प्रतिवेदन, संपत्ति जब्ती पत्रक व नक्शा पंचायतनामा की सत्यापित प्रतियाँ,

4. फेहरिस्त 45 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 46 सी1 आधार कार्ड शाहीन जहाँ,

5. फेहरिस्त 65 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 65 सी1 मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 के बीमा का कवर नोट की मूल प्रति,

6. फेहरिस्त 65 सी1/1 के माध्यम से प्रपत्र 66 सी1 लगायत 66 सी1/9 निकाहनामा शाहीन जहाँ, लेटर जिला दहेज प्रतिषेध अधिनियम झाँसी, पी. ए. क्लेम के भुगतान की धनराशि का विवरण, प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451 जाता फौजदारी, प्रमाणित प्रतिलिपि पावर आफ एटर्नी,
7. फेहरिस्त 85 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 86 सी1 लगायत 86 सी1/13 मृतक मोहम्मद आजाद के चिकित्सीय प्रपत्रों की मूल व छाया प्रति,
8. फेहरिस्त 106 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 107 सी1 लगायत 108 सी1/4 आधार कार्ड मन्तशा, स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट मंतशा,

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.1 शाहीन जहाँ याची सं. 1, पी.डब्लू.2 अब्दुल मुस्ताक, पी.डब्लू.3 अब्दुल दिलशाद, पी.डब्लू.4 कौशल दुर्घटना का चक्षुदर्शी स्वतन्त्र साक्षी व पी.डब्लू.5 अनीस खाँ

विपक्षी सं. 1 की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

1. विपक्षी सं. 1 की ओर से फेहरिस्त 27 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 28 सी1 लगायत 30 सी1 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179, मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 के बीमा का कवर नोट, मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 अर्जुन सिंह के चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,
2. फेहरिस्त 78 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 79 सी1 लगायत 82 सी1/2 मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 के बीमा का कवर नोट, इस न्यायाधिकरण के समक्ष लाखन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनाँक 04.07.2016 व उस पर इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 01.09.2016, रिट. सी नं. – 44248 ऑफ 2016 लाखन सिंह यादव प्रति अब्दुल मुश्ताक एण्ड 5 अदर्स मे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 17.10.2016,
3. फेहरिस्त 93 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 94 सी1 लगायत 96 सी1/2 मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 के बीमा का कवर नोट, इस न्यायाधिकरण का आदेश दिनाँक 07.04.2018, रिट. सी नं. – 44248 ऑफ 2016 लाखन सिंह यादव प्रति अब्दुल मुश्ताक एण्ड 5 अदर्स मे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 17.10.2016,
4. फेहरिस्त 101 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 102 सी1 लगायत 102 सी1/6 रिट. सी नं. – 5145 ऑफ 2019 लाखन सिंह यादव प्रति शाहीन एण्ड 6 अदर्स मे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 21.02.2019,

विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से-

1. फेहरिस्त 75 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 76 सी1/1 लगायत 76 सी1/11 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. द्वारा दिनाँक 07,08, व 09 फरवरी को जारी कवर नोट की डाटा शीट की प्रमाणित प्रतियाँ,
2. फेहरिस्त 88 सी1 के माध्यम से प्रपत्र 89 सी1/1 लगायत 89 सी1/510 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. द्वारा दिनाँक 07,08, व 09 फरवरी को जारी कवर नोट की सत्यापित प्रतियाँ

मौखिक साक्ष्य

डी.डब्लू.1 सुमित कुमार, विधिक सलाहकार आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. लखनउ

10. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी, बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का परिशीलन किया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्याँकन किया।

11. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2

प्रस्तुत प्रकरण दो मोटरसाइकिलों के आमने-सामने टक्कर की है। यह दोनो वाद बिंदु दुर्घटना, दुर्घटना में मोटर साईकिल नम्बर यू.पी. 93 ए.सी/1915 के चालक की योगदाई उपेक्षा तथा इसी मोटर साइकिल पर पीछे बैठे अब्दुल आजाद के चोटें आने व मृत्यु हो जाने के संबंध में है। दुर्घटना, दुर्घटना में मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 के चालक अर्जुन सिंह यादव की उपेक्षा को साबित करने का भार याची पर है जबकि मोटर साईकिल नम्बर यू.पी. 93 ए.सी/1915 के चालक की योगदाई उपेक्षा को साबित करने का भार विपक्षी पर है। याचीगण की ओर से प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 39 सी1 प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दुर्घटना के दूसरे दिन ही मृतक के भाई इसरार जो कि मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.93 ए.सी.1915 का चालक भी है के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गई थी। दुर्घटना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो विलंब है वह इस आधार पर स्वीकार्य है कि इसरार का भाई अब्दुल आजाद गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह उसके मेडिकल कॉलेज में चल रहे इलाज मे व्यस्त हो गया था। अपराधिक मुकदमा में अन्वेषण के पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 वाई 5179 के चालक अर्जुन सिंह यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 304 ए के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोप पत्र में कौशल को घटना का चश्मदीद साक्षी बताया गया है। याची की ओर से कौशल को पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। पी.डब्ल्यू. 4 ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.12 को

समय 6:00 शाम अपने खेत पर बने कुआं पर था कि अचानक धड़ाम की आवाज आई। झांसी की तरफ से एक मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 का चालक गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और कुमहर्रा की ओर से आ रहे इसरार की मोटरसाइकिल में बांई तरफ आकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे इसरार व उसका भाई मोहम्मद आजाद सड़क पर गिर गए। मोहम्मद आजाद को गंभीर चोटें आईं जो ग्वालियर में भर्ती रहा था व दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। इसरार अपनी मोटरसाइकिल अपने साइड से चला रहा था। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक यूपी 93 वाई 5179 की लापरवाही के कारण घटी थी। टक्कर लगने के बाद चालक मोटरसाइकिल को मौके पर छोड़कर भाग गया था। इस दुर्घटना को उसने स्वयं देखा था। दुर्घटना स्थल की नक्शा नजरी के बिंदु 4 पर इस साक्षी का खड़ा होना दर्शाया गया है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है-

(2)

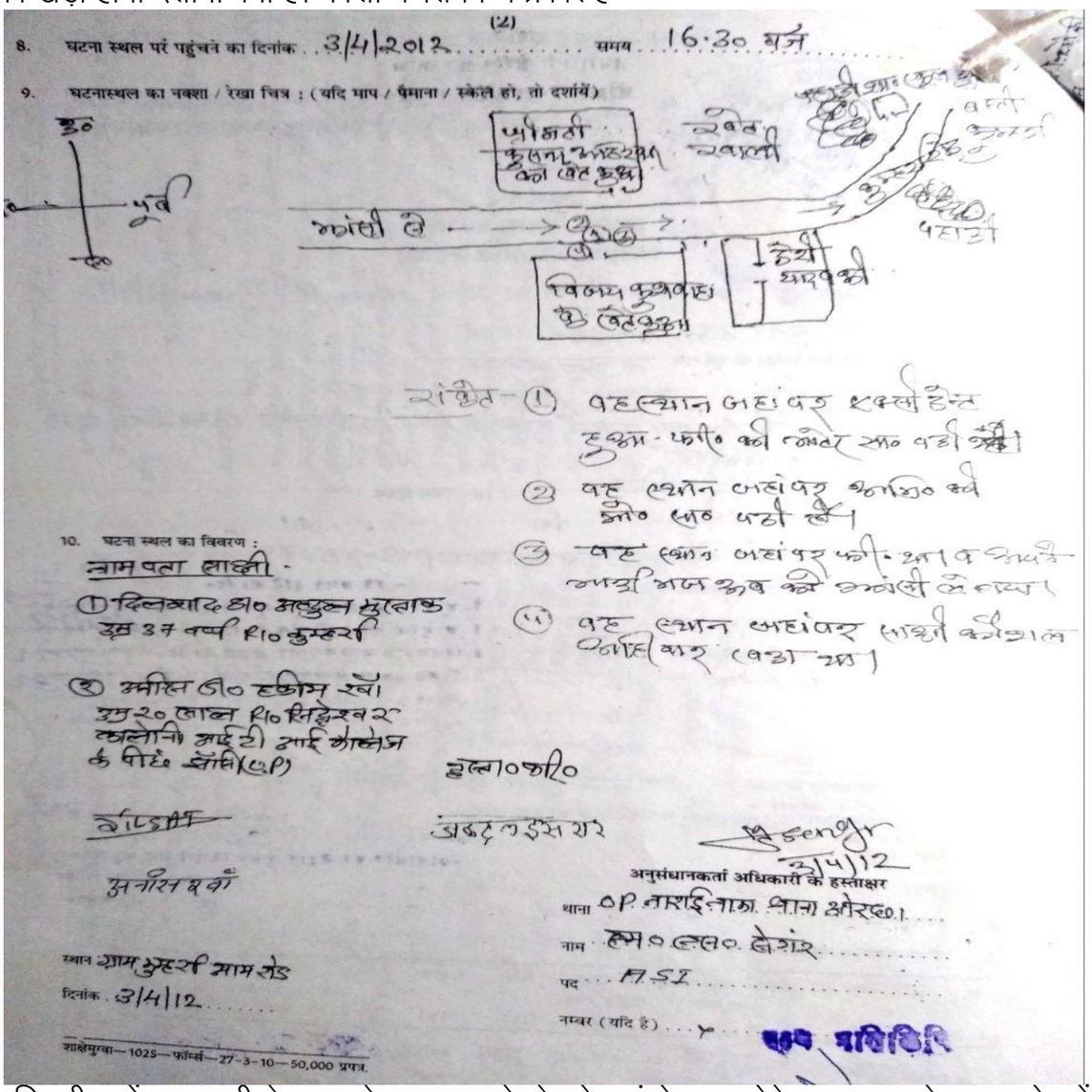

8. घटना स्थल पर पहुंचने का दिनांक 3/4/2012 समय 16:30 बजे

9. घटनास्थल का नक्शा / रेखा चित्र : (यदि माप / पैमाना / स्केल हो, तो दर्शायें)

10. घटना स्थल का विवरण :

अनुसंधानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

थाना

नाम

पद ASI

नम्बर (यदि है)

स्थान

दिनांक 3/4/12

शाक्षेमुग्वा—1025—फॉर्म—27-3-10—50,000 प्रपत्र.

प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने घटना के समय अपने खेत के कुएं के पास होने तथा घटना के समय खेत में पानी लगाने की बात कही है। खेत पांच बीघा का बताया है तथा कुआं खेत के बीच में होना बताया है। दुर्घटना स्थल से खेत की दूरी 10-15 कदम की बताई है और अपना मुंह खेत की ओर होना बताया है। मेरे विचार से इतनी दूरी से दुर्घटना तथा दुर्घटना में लापरवाही को देखा व दुर्घटना की आवाज का सुना जाना असंभव नहीं है। प्रति परीक्षा में साक्षी ने यह भी कहा है कि दोनों घायल जमीन पर पड़े थे पर वह यह नहीं बता सकता कि कौन किस गाड़ी को चला रहा था। वह यह नहीं बता सकता है कि किस गाड़ी पर कौन बैठा था। मेरे विचार से दुर्घटना के बाद जब गाड़ियां गिर गई थीं और दो व्यक्ति जमीन पर गिरे पड़े थे तो ऐसे में किसी के लिए भी यह बताया जाना संभव नहीं हो पाएगा कि कौन किस गाड़ी पर बैठा था लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह साक्षी यह नहीं देख पाया कि दुर्घटना में कौन सी मोटरसाइकिल लापरवाही से चलाई जा रही थी। साक्षी और याची के एक ही गांव के होने से यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता कि इस साक्षी ने याची के पक्ष में गलत साक्ष्य दिया है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वह दोनों गाड़ियों के नंबर नहीं बता सकता। मेरे विचार से यह बहुत संभव है कि इस साक्षी ने केवल टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल के नंबर पर ही गौर किया हो और उसके गांव के निवासी इसरार वह आजाद की मोटरसाइकिल के नंबर पर उसने गौर न किया हो। मानव स्वभाव भी इस प्रकार का होता है कि वह लापरवाही से टक्कर मारने वाली गाड़ी के नंबर पर ही गौर करता है। इस साक्षी के साक्ष्य से अन्य ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य की सत्यता पर संदेह किया जा सके।

12. दुर्घटना का दूसरा चक्षुदर्शी साक्षी अनीश खान पी.डब्ल्यू. 5 परीक्षित हुआ है जिसने कथन किया है कि उसने इस दुर्घटना को स्वयं देखा है। इस साक्षी ने दुर्घटना के संबंध में कथन किया है कि इसरार अपने छोटे भाई अब्दुल आजाद को मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एसी 1915 पर पीछे बिठाकर कुम्हर्रा से रामगढ़ जा रहे थे। जैसे ही यह लोग कुम्हर्रा-भट्टा गांव आम रोड पर पहुँचे कि उसी समय सामने से आ रही मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 के चालक ने विपरीत दिशा से आ कर अब्दुल इसरार की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे अब्दुल आजाद गंभीर रूप से घायल हो गए व जमीन पर गिर पड़े। अब्दुल इसरार मोटरसाइकिल को धीमा गति से अपनी साइड से जा रहे थे। मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 का चालक गाड़ी को बड़ी तेजी से चला रहा था। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि दुर्घटना आमने सामने नहीं हुई थी बल्कि साइड में आकर टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 वाई 5179 पर तीन सवारी बैठी थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे चल रहा था। इसरार घायल हुआ था, ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसरार हेलमेट पहने था। दरोगा जी ने उसके बयान लिए थे। नक्शा नजरी उसकी निशानदेही पर बनाई गई थी। इस साक्षी के साक्ष्य से भी ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य की सत्यता पर संदेह किया जा सके। यह स्वीकृत तथ्य है कि बीमा कम्पनी ने पी.ए. कवर का एक लाख रुपये का भुगतान मृतक के पिता विपक्षी सं. 4 अब्दुल मुस्ताक को कर दिया है। यह भी स्वीकृत है कि मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एसी 1915 मे हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के ₹ 8,000 अब्दुल मुस्ताक को मिल चुके हैं।

13. उक्त समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दुर्घटना मोटरसाइकिल संख्या यूपी 93 वाई 5179 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर बांये साइड में टक्कर मार देने से हुई है। योगदाई उपेक्षा के संबंध में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, यहाँ तक कि विपक्षी वाहन चालक ने दुर्घटना को स्वीकार भी नहीं किया है और न ही याची पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा कुछ स्पष्ट होता है कि इस दुर्घटना में इसरार की कोई योगदाई उपेक्षा थी। वाद बिंदु संख्या 1 व 2 तदनुसार निर्णीत किए जाते हैं।

14. <u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या 3</u>

यह वाद बिंदु इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या दुर्घटना दिनाँक को मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 व मोटरसाइकिल यू.पी. 93 ए.सी/1915 के चालकों के पास वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स था?

15. विपक्षी सं. 1 की ओर से मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 के चालक अर्जुन सिंह यादव पुत्र हरनारायण यादव की चालन अनुज्ञप्ति प्रपत्र संख्या 30 सी1 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमे अर्जुन सिंह यादव पुत्र हरनारायण यादव को दि. 27.11.09 से 26.11.2014 हल्के मोटर वाहन/बगैर गियर/गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन नहीं किया जा सका है। अतः यह साबित है कि दुर्घटना के दिनाँक को मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 के चालक अर्जुन सिंह यादव पुत्र हरनारायण यादव के पास मोटरसाइकिल चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति थी।

16. याची की ओर से मोटरसाइकिल यू.पी. 93 एसी 1915 के चालक अब्दुल इसरार की चालन अनुज्ञप्ति प्रपत्र संख्या 11 सी1 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमे अब्दुल इसरार को दि. 16.11.2005 से 21.03.2010 हल्के मोटर वाहन/बगैर गियर/गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है जो 20.03.2013 तक नवीनीकृत है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। अतः यह साबित है कि दुर्घटना के दिनाँक को मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 एसी 1915 के चालक अब्दुल इसरार के पास मोटरसाइकिल चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति थी। वाद बिंदु संख्या 3 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

17. <u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या 4</u>

यह वाद बिंदु इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या उपरोक्त दोनो मोटरसाइकिल बीमा कम्पनी आई.सी.आई.सी.आई. से बीमित थी? मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 एसी 1915 का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस मोटरसाइकिल के संबंध मे जो बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई है उसमे मात्र इंजन नंबर व फ्रेम नंबर व असगर अली का ही उल्लेख है किंतु चूँकि बीमा कम्पनी आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 ए.सी/1915 के संबंध मे अब्दुल आजाद की मृत्यु पर पी.ए. क्लेम दे दिया गया है जिसके संबंध मे पत्रावली पर प्रपत्र सं. 66 सी1/3 ता. 66 सी1/5 मौजूद है और आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. लखनउ के विधिक सलाहकार डी.डब्लू.1 सुमित कुमार ने यह तथ्य स्वीकार भी किया है अतः यह साबित है कि मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 एसी 1915 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित थी।

18. अब प्रश्न यह है कि क्या मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित थी? इस तथ्य को साबित करने का भार वाहन स्वामी विपक्षी सं. 1 पर है। इस संबंध मे वाहन स्वामी द्वारा जो कवर नोट प्रपत्र सं. 65 सी1 प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार वाहन संख्या मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 दिनाँक 6 फरवरी 2012 से मध्य रात्रि 7 फरवरी 2013 तक लायबिलिटी पॉलिसी के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित है। आई.सी.आई.सी.आई.

लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. ने अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि इस कवर नोट पर कोई पॉलिसी उनके द्वारा जारी नहीं की गई है, कवर नोट क्षतिपूर्ति से बचने के लिए अपने स्तर से फर्जी तैयार किया गया है। डी.डब्लू.1 सुमित कुमार, विधिक सलाहकार आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. ने बीमा कवर नोट प्रपत्र संख्या 65 सी1 देख कर कहा कि उनकी कंपनी द्वारा यह कवर नोट जारी नहीं किया गया है। मोटरसाइकिल के लिए उनकी कंपनी से कोड 3005 से जारी किये जाते है। 3001 कोड से जारी नहीं किये जाते हैं। कागज संख्या 12 सी1 जो पॉलिसी पेश की गई है वह अब्दुल आजाद मृतक के नाम पर जारी की गई है। जिसका कोड 3005 है। यह पॉलिसी मोटरसाइकिल की है। वह उनकी कंपनी द्वारा जारी की गई है। इस पॉलिसी के तहत मृतक अब्दुल आजाद भी मृत्यु के बाद पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम के तहत दिनांक 11.12.13 को चेक द्वारा उसके पिता अब्दुल मुस्ताक को मुबलिग एक लाख कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है। क्योंकि मृतक अब्दुल आजाद स्वयं गाड़ी मालिक था, अतः थर्ड पार्टी क्लेम उनकी कंपनी से हकदार नहीं है। अब्दुल आजाद की मोटरसाइकिल का नंबर यूपी 93 एसी 1915 है। इस साक्षी ने न्यायाधिकरण को यह बताया है कि एजेंटों को जो कवर नोट/पॉलिसी जारी की जाती है उनकी सूची वह लेकर नहीं आया है। वर्ष 2012 में उनकी कंपनी में कौन-कौन एजेंट तैनात थे उनके नाम वह नहीं बता सकता है।

19. प्रस्तुत प्रकरण मे वाहन स्वामी विपक्षी सं. 1 ने इस बात का कोई साक्ष्य नही दिया है कि उसने यह कवर नोट कहाँ से प्राप्त किया है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय से यह आदेश प्राप्त किया है कि बीमा कम्पनी कि वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुपालन मे दिनाँक 7 फरवरी, 2012, 8 फरवरी, 2012 एवं 9 फरवरी, 2012 को जारी समस्त कबरनोट की बाइन्डेड बुकलेट को न्यायाधिकरण के सम्मुख अगली निश्चित तिथि (14 मार्च, 2019) को प्रस्तुत करे। बीमा कम्पनी दिनांक 7 फरवरी, 2012, 8 फरवरी, 2012 एवं 9 फरवरी, 2012 को जारी समस्त कबरनोट की बाइन्डेड बुकलेट न्यायाधिकरण के सम्मुख तो प्रस्तुत नही कर पायी है बल्कि उसके स्थान पर उक्त तिथियों के कम्प्यूटर जेनरेटेड कबरनोट प्रस्तुत किए हैं। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि बाइन्डेड बुकलेट की प्रतियाँ तोड़ कर कम्पनी के अलग अलग कार्यालयों मे भेज दी जाती हैं। वाहन स्वामी विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत कवर नोट मे अनेंक त्रुटियाँ विद्यमान हैं जो सामान्यतः नही होनी चाहिए जैसे इसमे दो जगह वाहन संख्या का उल्लेख है जो एक सा नही है, कंपनी का नाम भी एक सा नही है। कहीं लोम्बार्ड तो कहीं लुम्बार्ड, पॉचवी रो के दूसरे कालम की दूसरी पंक्ति मे holds an effective की जगह holds as effective, छठी रो के दूसरे कालम की दूसरी पंक्ति मे goods 9other, सबसे उपर के दाहिने बाक्स मे commentar, alongsid, vehicledescribed, Weare, अंतिम रो में 1/We hereby declare आदि भाषा का उल्लेख है। इसमे पैकेज पॉलिसी व लायबिलिटी पॉलिसी व एक्ट ओनली तीनों का उल्लेख है, इफेक्टिव टाइम व इसू टाइम का फार्मेट अलग अलग है। मोटर साइकिल कोड 3005 की जगह कार कोड 3001 अंकित है। बीमा कंपनियों के कवर नोट मे सामान्यतः इतनी अधिक त्रुटियाँ नही पाई जाती है और **सबसे बड़ी बात यह कि इस मूल कवर नोट को 02/08/2012 को या तो कम्प्यूटर से निकाला गया है या तैयार किया गया है क्योंकि यह तिथि कवर नोट पर अंकित है। स्पष्ट है कि इस पर मोहर 02/08/2012 को या उसके बाद लगाई गई है जबकि इसे प्रभावी दिनांक 08-FEB.-2012 से दिखाया गया है। कवर नोट पर कहीं द्वतीय प्रति भी अंकित नही है।** तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण इसे 6 माह बाद कम्प्यूटर के माध्यम से निकालना या तैयार करना पड़ा। इस बात का एक ही निश्कर्ष प्राप्त होता है कि दुर्घटना के बाद बैक डेट से फर्जी बीमा तैयार किया गया है। जब एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि बीमा कवर नोट फर्जी था तो इस बात से कोई अन्तर नही आता कि बीमा कंपनी 7 फरवरी, 2012, 8 फरवरी, 2012 एवं 9 फरवरी, 2012 को जारी समस्त कबरनोट की बाइन्डेड बुकलेट न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत नही कर पायी है। अतः मैं इस निष्कर्श का हूँ कि दुर्घटना दिनाँक को मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 ए.सी/1915 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित थी किंतु मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित नही थी।

20. <u>**निस्तारण बाद बिंदु संख्या 5**</u>

यह वाद बिंदु क्षतिपूर्ति से संबंधित है। वाद बिंदु संख्या एक व दो के निस्तारण के दौरान यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि दिनाँक 01.4.2012 को घटी वाहन दुर्घटना में मोटरसाइकिल यू.पी. 93 ए.सी/ 1915 पर पीछे बैठे अब्दुल आजाद को गंभीर चोटें आई तथा इन्हीं चोटों के कारण दौरान इलाज अब्दुल आजाद की मृत्यु हो गई जिसमे मोटरसाइकिल यू.पी. 93 ए.सी/1915 चालक इसरार की कोई योगदाई उपेक्षा नहीं थी। वाद बिंदु संख्या तीन के निस्तारण के दौरान यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि दुर्घटना दिनाँक को दोनो वाहनों चालकों के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी। वाद बिंदु संख्या चार के निस्तारण के दौरान यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि दुर्घटना दिनाँक को मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 93 ए.सी/1915 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित थी किंतु मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित नही थी। चूँकि टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई 5179 का बीमा नही था, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व मोटरसाइकिल ग्लैमर नम्बर यू.पी. 93 वाई

5179 के स्वामी व चालक क्रमशः विपक्षी संख्या 1 व 6 का संयुक्त व प्रथक प्रथक रूप से है। अब प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि क्या होनी चाहिए?

21. विधि व्यवस्था Kajal vs. Jagdish Chand and Ors. (05.02.2020 - SC) : MANU/SC/0126/2020 मे माननीय उच्चतम न्याालय ने कहा है कि *व्यक्तिगत चोट के मामलों में क्षति का आकलन बड़ी कठिनाइयों को जन्म देता है। शारीरिक और मानसिक नुकसान को मौद्रिक शब्दों में बदलना आसान नहीं है। गणना किए गए अनुमान का एक माप होना चाहिए। एक आकलन, परिस्थितियों में जितना हो सके, सबसे अच्छा होना चाहिए।*

मृतक के संबंध मे यह साक्ष्य दिया गया है कि वह राजमिस्त्री का कार्य करता था किंतु इस संबंध मे न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य है और न ही कोई स्वतंत्र व विस्वशनीय साक्षी। इन परिस्थितियों मे नोशनल आय को संज्ञान मे लेना समीचीन होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/ 7368/ 2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार मृतक की कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 प्रतिदिन निर्धारित की जाती है।

22. पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 25 वर्ष बतायी है। किंतु चूँकि मृतक के मतदाता पहचान पत्र में दि. 01.01.2003 मृतक की आयु कहीं 18 वर्ष अंकित है अतः दुर्घटना के दिनाँक को मृतक की आयु 27 वर्ष 3 माह निर्धारित की जाती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC): MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 26 से 30 आयु वर्ग के लिए 17 का गुणक, प्रयोज्य है। 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि लागू होगी। मृतक के इलाज के संबंध मे कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गए हैं।

23. मृतक पर निर्भरता के संबंध में मृतक की पत्नी व मृतक के माता-पिता के मध्य विवाद है। मृतक के माता-पिता ने याचिका संख्या 87 वर्ष 2013 प्रस्तुत की है। मृतक के माता पिता की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि मृतक तथा मृतक की पत्नी शाहीन जहाँ के मध्य खुला तलाक हो चुका था जिससे शाहीन जहाँ ने इनकार किया है। इस संबंध में 2 साक्षी परीक्षित हुए हैं। मृतक के पिता पी.ड्ब्लू.2 अब्दुल मुस्ताक आयु 65 वर्ष ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके लड़के को दिनाँक 30.01.12 को श्रीमती शाहीन ने खुला तलाक दिया था। यह तलाक विजय, दिलशाद व बड़ी बहू रोशन के सामने दिया था। तलाक के बाद उसकी बहू अपने मायके चली गई थी। प्रतिपरीक्षा मे इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने तलाक संबंधी अभिलेख पत्रावली में पेश नहीं किए हैं। तलाक घटना के करीब 3 माह पूर्व हो गया था। श्रीमती शाहीन जहाँ ने दहेज के बाबत जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के यहां मुकदमा दायर किया था। उनके पास डेढ़ एकड़ जमीन खेती है जिसकी आय वह स्वयं लेते हैं। पी.डब्लू.3 अब्दुल दिलशाद जो कि पी.डब्लू.2 का पुत्र है ने मुख्य परीक्षा मे वही बातें कही हैं जो कि पी.डब्लू.3 ने। प्रतिपरीक्षा मे इस साक्षी ने कथन किया है कि मेहर कितने रुपये का तय हुआ था उसे नही मालूम। तलाक के समय मेहर की कोई धनराशि दी गई थी या नही उसे जानकारी नही है। मोहम्मद आजाद ने झगड़े के दौरान गुस्से मे तीन बार तलाक तलाक कहा था। दोनो हितबद्ध साक्षियों के कथनों में अनेंक विरोधाभाष हैं। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि खुला तलाक का न तो स्पष्ट प्रमाण है और न ही वह मुस्लिम विधि के मानक पर खरा है। चूँकि शाहीन जहाँ ने मृतक की मृत्यु के 2 दिन पूर्व मायके चले जाने की बात स्वीकार की है अतः ऐसी सभावना हो सकती है कि पति-पत्नी के मध्य कुछ विवाद रहा हो लेकिन इससे शाहीन जहाँ की मृतक पर निर्भरता नासाबित नही होती है। संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतक के पिता के पास स्वयं की खेती है और वह आत्मनिर्भर थे। मृतक पर उसकी पत्नी उसकी मां तथा बेटी ही निर्भर थी। अतः 3 ब्यक्तियों की निर्भरता पर स्वयं के खर्च मे 1/3 भाग की कटौती, संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000, दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000 तथा वैवाहिक सहचर्य की क्षति के लिए ₹ 40,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन × माह के दिन × वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			3	27720
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				55440
गुणक			17	942480
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	982480
संपदा की क्षति			15000	997480
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	1012480
उपचार पर खर्च			26238	1038718
यूपी९३वाई५१७९ के चालक की उपेक्षा % मे			100	1038718
यूपी९३एसी१९१५ के चालक की योगदाई उपेक्षा % मे			0	0
कुल क्षतिपूर्ति				**1038718**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 10,38,718 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 व M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की पंच वर्षीय सावधि जमा से वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचिका संख्या 334 वर्ष 2012 के याची संख्या 1 श्रीमती शाहीन जहाँ व 2 कु. मन्तशा की याचिका विपक्षी संख्या 1 लाखन सिंह यादव व विपक्षी संख्या 6 अर्जुन सिंह के विरुद्ध व याचिका संख्या 87 वर्ष 2013 के याची संख्या 1² श्रीमती महमूदी बेगम की याचिका विपक्षी संख्या 1 लाखन सिंह यादव के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 10,38,718 (दस लाख अडतीस हजार सात सौ अठारह) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 31.05.2012 से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका संख्या 334 वर्ष 2012 विपक्षी सं. 2, 3, 4, 5 के विरुद्ध अस्वीकार की जाती है। याचिका संख्या 87 वर्ष 2013 के याची संख्या 1 अब्दुल मुश्ताक की याचिका अस्वीकार की जाती है। याचिका संख्या 87 वर्ष 2013 विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध अस्वीकार की जाती है। याचिका संख्या 334 वर्ष 2012 के विपक्षीगण संख्या 1 लाखन सिंह यादव व 6 अर्जुन सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 45 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे। धनराशि स्थानांतरण के समय याचिका संख्या का उल्लेख किया जायगाा व ट्रांजैक्शन नंबर की सूचना po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर दी जाएगी।

याची श्रीमती शाहीन जहाँ, कु. मन्तशा व श्रीमती महमूदी बेगम क्षतिपूर्ति धनराशि व ब्याज का क्रमशः 30, 40, 30% भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण श्रीमती शाहीन जहाँ व श्रीमती महमूदी बेगम को प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 3 वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जायेगी। याची कु. मन्तशा के भाग की धनराशि उसके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक मे सर्वाधिक ब्याज देने वाली सावधि जमा मे निवेशित की जाएगी। याचीगण श्रीमती शाहीन जहाँ व श्रीमती महमूदी बेगम को शेष नगद धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 28.11.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 28.11.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

Typographical error corrected vide order dated 01.12.2020

PO
MACT, Jhansi
01.12.2020